भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2983
वाणिज्य विभाग

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौते में वार्ता

2983. श्री तापिर गाव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय और यूरोपीय आयुक्त के बीच उच्च स्तरीय वार्ता से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संबंध में अपेक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस एफटीए में वार्ता के लिए प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
(ग) मंत्रालय किस प्रकार यूरोपीय संघ के साथ वाणिज्यिक रूप से सार्थक व्यापार एजेंडा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को दूर करने की योजना बना रहा है;
(घ) भारत मानकों को सुसंगत बनाने और "शून्य दोष" और "शून्य प्रभाव" उत्पादन क्षमताओं को प्राप्त करने के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु यूरोपीय संघ किस स्तर तक बातचीत में लगा हुआ है, और
(ङ) भारत यह किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है कि आगामी एफटीए दोनों पक्षों के छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई), किसानों और मछुआरों की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करे ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ड.): माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और यूरोपीय व्यापार आयुक्त, श्री मारोस शेफकोविक के बीच दिनांक 18-19 जनवरी 2025 को उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडी) आयोजित की गई थी। दोनों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता (भारत-ईयू एफटीए), व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। उच्च स्तरीय वार्ता के परिणामस्वरूप, भारत और यूरोपीय संघ कृषि-खाद्य, एक्टीव फार्मास्ट्रीकल इंग्रिडियंट्स (एपीआई) और स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए जिसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखलाओं को बढावा देना है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके। इसके अलावा, उच्च स्तरीय वार्ता के चलते यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए कई भारतीय जलीय कृषि प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध किया गया और कृषि जैविक उत्पादों के लिए समानता का मुद्दा उठाया गया। दोनों पक्षों का उद्देश्य एक

निष्पक्ष, समान, पारस्परिक रूप से लाभकारी और व्यावसायिक रूप से सार्थक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को अंतिम रूप देना है, जो दोनों पक्षों के लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई), किसानों और मछुआरों सहित सभी हितधारकों की जरूरतों और चिंताओं को ध्यान में रखें।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के फ्रेमवर्क के भीतर, सभी देश मुख्य रूप से स्वच्छता और पादप स्वच्छता, तकनीकी व्यापार विनियमों, कोटा प्रतिबंधों, संरक्षोपाय शुल्कों और मानव, पशु और पौधों के जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विभिन्न सततता-संबंधी विनियमों के रूप में आयात पर व्यापार उपायो को अधिरोपित करते हैं, साथ ही साथ सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते है। हालांकि, जब ऐसे व्यापार उपायों को व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली व्यापार बाधाओं के रूप में माना जाता है, तो सरकार उपचारात्मक कार्रवाई के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर संबंधित देशों के साथ अग्रसक्रिय रूप से ऐसे उपाय करती है, जो आवश्यक हो। सरकार ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद और भारत-यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय वार्ता सहित प्रासंगिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर यूरोपीय संघ (ईयू) और उसके सदस्य राज्यों के साथ डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के भीतर या अन्यथा सभी व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय किए है।

सरकार ने भारत को एक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान-प्रदान और मानकों के सामंजस्य के लिए यूरोपीय संघ के साथ भी कार्य किया है।

*****